अनुबंध ।।

अ.शा. सं0 19020/35/93-एससीडी-6

भारत सरकार

कल्याण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 27.10.93

गंगादास

संयुक्त सचिव

प्रिय श्री

कृपया मेरे दिनांक 29 जुलाई, 1993 के समसंख्यक अ.शा.पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जो विशेष संघटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) और विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों, जहां एससीए का उपयोग 50% या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ब्लाकों में किया जा सके, के अंतर्गत मदों की सूची सहित इनसे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के बारे में था ।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवेचित अन्तराल को भरने के लिए एससीपी से संबंधित इसकी निदर्शी सूची तथा अनुसूचित जाति परिवारों के आर्थिक विकास संबंधी व्यवहार्य योजनाओं के लुप्त इनपुट्स की व्यवस्था करने के लिए एससीपी के लिए योगज होने के नाते विस्तृत दिशानिर्देश एससीए के सिद्धान्तों में हेर-फेर नहीं करते हैं । एससीए का उपयोग अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सरकारों के योजना और गैर-योजना आवंटनों के अंतर्गत उनके दायित्वों के एवजी के रूप नहीं किया जाना चाहिए । आवासीय स्कूल स्थापित करने और उनका संचालन करने के लिए एससीपी के साथ एससीए का उपयोग सख्ती से कम साक्षरता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति महिलाओं में साक्षरता स्तर दो प्रतिशत से कम है, में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अंतर्गत उल्लिखित मदों के लिए एससीपी के साथ एससीए का उपयोग उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां अनुसूचित जातियों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

सादर,

आपका

ह0

(गंगादास)

सेवा में

सूची के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक कल्याण सचिव